न्यायालय–जितेन्द्र कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(निर्णय तारीख 16.10.2023)

Registration. No	**4233/2023**
Filling no	**RCT/16591/2023**
CNR no	**MP0701/020528/2023**
Filling date	**03-08-2023**

———————————————————————————

पुलिस थाना मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र. के अपराध कमांक 440/2023 अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र. **.....अभियोगी**

प्रतिनिधित्व द्वारा ए.डी.पी.ओ.

विरुद्ध

सुनील जाटव पुत्र शिवचरण जाटव, उम्र– 27 वर्ष, निवासी अल्पना टॉकीज के पास, कंपनी बाग, मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र.
..... अभियुक्त

प्रतिनिधित्व द्वारा श्रीमती आकांक्षा शुक्ला सहित श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता

अपराध की तारीख	17.06.2023
प्र.सू.रि. की तारीख	20.06.2023
अभियोग पत्र की तारीख	03.08.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	07.08.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	16.08.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	16.10.2023
निर्णय की तारीख	16.10.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
–	सुनील	01.07.2023	–	धारा 379 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	दिनांक

	जाटव						01.07.2023 से निर्णय दिनांक 16.10.2023 तक

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	सिद्धार्थ अमर राव	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
अ.सा.2	नरेन्द्र सिंह	फरियादी
अ.सा.3	देवेन्द्र सिंह गुर्जर	स्वतंत्र साक्षी
अ.सा.4	जसवीर सिंह	पुलिस साक्षी
अ.सा.5	हेमंत कोरकू	पुलिस साक्षी
अ.सा.6	मकरंद सिंह तोमर	अनुसंधानकर्ता साक्षी

प्रतिरक्षा साक्ष्य

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

न्यायालयीन साक्ष्य

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क. अभियोजन प्रदर्शः

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.2/अ.सा.2	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी.3/अ.सा.4	मेमोरेण्डम
4.	प्रदर्श पी.4/अ.सा.4	जब्ती पत्रक
5.	प्रदर्श पी.5/अ.सा.4	गिरफ्तारी पत्रक

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्शः

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

घ. आवश्यक वस्तुयेंः

स.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण

1	एक	मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.वाय. 5448

(निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 17.06.2023 को समय करीब 20:00 बजे से 07:00 बजे तक, स्थान आर.पी. पार्क मोहनपुर मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी नरेन्द्र सिंह गुर्जर के आधिपत्य की काले रंग की हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.वाय.5448 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नरेन्द्र सिंह गुर्जर ने थाना आकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 17.06.2023 को शाम करीब 08:00 बजे वह अपनी हीरो स्पलेण्डर प्लस काले रंग की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.वाय.5448 को घर के बाहर खड़ा करके अंदर सोने चला गया था तथा सुबह 07:00 बजे जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी उक्त मोटर साइकिल खड़े स्थान पर नहीं मिली, उसने अपनी मोटर साइकिल को आसपास के क्षेत्र में भी काफी तलाश किया, किंतु मोटरसाइकिल नहीं मिली तथा उसकी उक्त मोटरसाइकिल को दिनांक 17–18.06.2023 की दरमियानी रात्रि कोई अज्ञात चोर चोरी करने ले गया है। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना मुरार में रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर पुलिस थाना मुरार द्वारा अपराध क्रमांक 440/2023 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के पुलिस कथन लिए गए तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तथा मुद्देमाल जब्त कर, विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को निर्णय की कण्डिका–01 में वर्णित आरोप पढ़कर

सुनाए जाने पर अभियुक्त ने उक्त आरोपित अपराध करने से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

4. प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु विचारणीय निम्न बिन्दु उद्भूत होते हैं कि :–

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान से फरियादी के आधिपत्य का वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.वाय.5448 की चोरी कारित हुई ?
2. क्या अभियुक्त के आधिपत्य से अथवा उसकी निशानदेही पर उक्त वाहन बरामद हुआ ?

।। <u>विचारणीय बिन्दुओं पर विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> ।।

<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक 01 एवं 02 :–</u>

5. उक्त विचारणीय बिंदु एक–दूसरे से सहसंबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने एवं उचित क्रमबंधन के लिये एक साथ निराकृत किये जा रहे हैं।

6. उक्त संबंध में विचार करें तो फरियादी नरेन्द्र अ0सा02 ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 17.06.2023 को शाम के 08:00 बजे के आसपास वह अपनी मोटरसाइकिल एम.पी.07 एम.वाय.5448 को अपने घर के बाहर खड़ा करके सोने चला गया तथा सुबह उक्त स्थान पर मोटरसाइकिल नहीं मिली एवं उसकी मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिसके संबंध में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 लेखबद्ध करायी तथा पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.02 बनाया गया एवं उसके कथन लिये।

7. सुसंगत दिनांक, समय व स्थान से फरियादी का वाहन मोटरसाइकिल एम.पी.07 एम.वाय.5448 चोरी होने के संबंध में फरियादी

नरेन्द्र सिंह अ0सा02 की साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से खण्डित नहीं की जा सकी है तथा उक्त संबंध में उसकी साक्ष्य देवेन्द्र सिंह अ0सा03 की साक्ष्य से भी संपुष्ट रही है, तब उक्त फरियादी नरेन्द्र सिंह अ0सा02 की विश्वसनीय एवं संपुष्ट साक्ष्य से अभिलेख पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होता है कि सुसंगत दिनांक, समय व स्थान से फरियादी का वाहन चोरी हुआ।

8. उक्त वाहन को अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने के संबंध में विचार करें तो फरियादी नरेन्द्र सिंह अ0सा02 द्वारा चोरी की घटना होते हुये स्वयं देखे जाने का तथ्य अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है तथा उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है तथा प्रधान आरक्षक सिद्धार्थ अ0सा01 द्वारा भी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 लेखबद्ध किया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है तथा अन्य साक्षी देवेन्द्र सिंह अ0सा03 द्वारा भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चोरी किया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है तथा अभियोजन की ओर से अभिलेख पर अन्य कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब उक्त परिस्थिति में किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही अभियोजन मामले पर विचार किया जाना है।

9. यहॉ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में विधिक स्थिति पर विचार करें तो न्यायदृष्टांत **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है, जिसका सुसंगत उद्धरण निम्न है—**152.** It may be useful to extract what Mahajan, J. has laid down in *Hanumant case* [AIR 1952 SC 343 : 1952 SCR 1091 : 1953 Cri LJ 129] :

> *"It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the*

hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused."

10. उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि से स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण रूप में स्थापित होकर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने के संबंध में निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिये। उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विचार करें तो प्रधान आरक्षक मकरंद सिंह अ0सा06 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 20.06.2023 को थाना मुरार में प्रधान आरक्षक पदस्थ रहते हुये हस्तगत अपराध की विवेचना के दौरान उसे दिनांक 01.07.2023 को बीट भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति रामलीला मैदान में हरे रंग की टी–शर्ट पहने हुये चोरी की मोटरसाइकिल लिये सीढ़ियों पर बैठा है तथा उक्त सूचना की तस्दीक हेतु उसके द्वारा आरक्षक जसवीर अ0सा04 एवं आरक्षक हेमंत अ0सा05 को सदर बाजार चौराहे पर बुलाया तथा उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति सीढ़ियों पर बैठा दिखा, जिसे पकड़कर नाम, पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम सुनील बताया तथा उसके पास पायी गयी मोटरसाइकिल के कागज मांगे जाने पर दस्तावेज होने से इंकार किया तथा सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त वाहन को चोरी करना बताया गया, जिसके संबंध में मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 बनाया गया तथा उक्त मेमोरेण्डम अनुसार अभियुक्त से वाहन मोटरसाइकिल जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.05 बनाया गया तथा मोटरसाइकिल के फोटोग्राफ्स आर्टिकल ए–1 लगायत

आर्टिकल ए–4 लिये जाकर संलग्न किये गये तथा आरक्षक जसवीर अ0सा04 एवं आरक्षक हेमंत अ0सा05 ने भी उक्तानुसार ही अपनी साक्ष्य में तथ्य बताये हैं तथा जब्ती के समय अभियुक्त के पास प्रश्नगत मोटरसाइकिल को होना अपनी साक्ष्य में बताया है।

11. अनुसंधान अधिकारी की उक्त साक्ष्य तथा अन्य साक्षीगण की साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्त के सजग आधिपत्य से कोई वाहन जब्त होना नहीं रहा है तथा प्रकरण में जब्ती कार्यवाही किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में नहीं की गयी है और ना ही मौके पर जाकर कार्यवाही करने के संबंध में कोई रवानगी रोजनामचा सान्हा पेश किया गया है तथा पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विरोधाभासी प्रकृति की रही है, इसलिये अभियोजन की साक्ष्य से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

12. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क के आलोक में अनुसंधान अधिकारी मकरंद सिंह अ0सा06 की साक्ष्य पर विचार करें तो उसके द्वारा अभियुक्त के बताये अनुसार बनाया जाना कथित मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 में यह उल्लेखित है कि अभियुक्त द्वारा यह बताया गया कि घटना समय पर वह मोटरसाइकिल से रामलीला मैदान में खड़ा था एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौके पर बनाया जाना कथित जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 में अभियुक्त के कब्जे से मोटरसाइकिल एम.पी.07 एम. वाय.5448 जब्त किया जाना उल्लेखित है, परंतु उक्त तथ्यों के विपरीत अनुसंधान अधिकारी/जब्तीकर्ता प्रधान आरक्षक मकरंद सिंह अ0सा06 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–01 में ही यह बताया है कि जब वह मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त सीढ़ियों पर बैठा हुआ था तथा उक्त साक्षी ने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–03 में यह स्पष्ट बताया है कि उसने अभियुक्त को प्रश्नगत

वाहन मोटरसाइकिल चलाते हुये नहीं देखा तथा उसने इस तथ्य को भी सही बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को प्रश्नगत मोटरसाइकिल पर बैठे हुये भी नहीं देखा तथा उसने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–04 में इस तथ्य को भी सही बताया है कि जब उसके द्वारा प्रश्नगत मोटरसाइकिल को जब्त किया गया, तब अभियुक्त उक्त मोटरसाइकिल से एक–दो सीढ़ियॉ छोड़कर बैठा था तथा मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुयी थी।

13. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी प्रधान आरक्षक मकरंद अ0सा06 की उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि जब्ती कार्यवाही के समय अभियुक्त प्रश्नगत वाहन पर ना तो यात्रा करते हुये पाया गया है और ना ही उक्त वाहन पर बैठा हुआ पाया गया है, इसके विपरीत स्वयं अनुसंधान अधिकारी/जब्तीकर्ता साक्षी की साक्ष्य अनुसार घटना समय पर अभियुक्त प्रश्नगत वाहन से दूर सीढ़ियों पर बैठा हुआ पाया गया है तथा वाहन में जब्ती के समय चाबी लगी होना अभियोजन का मामला ही नहीं रहा है तथा साक्षी की साक्ष्य अनुसार उक्त वाहन को रामलीला मैदान से जब्त किया जाना रहा है, तब उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन अभियुक्त के सजग आधिपत्य से जब्त नहीं किया गया है, अपितु रामलीला मैदान से जब्त किया गया है तथा उक्त परिस्थिति में जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 में उल्लेखित तथ्य कि वाहन को अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 में उल्लेखित तथ्य कि उक्त समय अभियुक्त मोटरसाइकिल से रामलीला मैदान में खड़ा था, का खण्डन स्वयं उक्त जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 को बनाने वाले अनुसंधान अधिकारी प्रधान आरक्षक मकरंद सिंह अ0सा06 की साक्ष्य से हो जाता है।

14. उक्त तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगे विचार करें तो स्वयं मकरंद सिंह अ0सा06 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–03 में इस तथ्य को सही बताया है कि रामलीला मैदान लोकस्थान होकर उक्त स्थान पर काफी भीड़भाड़ रहती है तथा जिस समय उसके द्वारा

वाहन को जब्त किया गया, उक्त समय भी मौके पर 10–15 लोग मौजूद थे तथा आरक्षक जसवीर अ0सा04 एवं आरक्षक हेमंत कोरकू अ0सा05 ने जब्तीस्थल को लोकस्थान होना अपनी साक्ष्य में बताया है।

15. इस प्रकार जब्ती, गिरफ्तारी एवं मेमोरेण्डम कार्यवाही के उक्त पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि जब्तीस्थल लोकस्थान होकर लोगों के आवागमन का स्थान रहा है तथा अनुसंधान अधिकारी/जब्तीकर्ता के अनुसार उक्त समय मौके पर 10 से 15 लोग उपस्थित रहे हैं तथा उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि जब्तीस्थल अभियुक्त के एकमात्र आधिपत्य अथवा एकमात्र ज्ञान का स्थान भी नहीं रहा है तथा उक्त समस्त परिस्थितियों में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं होता है कि प्रश्नगत वाहन अभियुक्त के सजग आधिपत्य से जब्त किया गया।

16. इस प्रकार स्वयं जब्तीकर्ता साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट रहा है कि जब्ती कार्यवाही के समय पर अभियुक्त ना तो प्रश्नगत वाहन पर बैठा हुआ था, ना उक्त वाहन पर यात्रारत था और ना ही उक्त वाहन उसके सजग आधिपत्य से जब्त किया गया, अपितु उक्त वाहन को लोकस्थान से जब्त किये जाने का तथ्य स्वयं जब्तीकर्ता की साक्ष्य से प्रकट रहा है, तब उक्त परिस्थिति में यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं होता है कि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 के अनुसार जब्त होना कथित वाहन अभियुक्त के सजग आधिपत्य से जब्त किया गया तथा उक्त परिस्थिति में उक्त पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य से मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 तथा जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 के तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होना प्रकट नहीं होते हैं।

17. उक्त संबंध में आगे विचार करें तो प्रधान आरक्षक मकरंद अ0सा06 द्वारा मौके पर बनाया जाना कथित मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 में यह उल्लेखित है कि उक्त वाहन उसकी नंबर प्लेट उल्टी लगाकर उपयोग किया जा रहा था, परंतु स्वयं जब्तीकर्ता साक्षी मकरंद अ0सा06 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–05 में इस तथ्य को सही बताया है कि

उसके द्वारा ऐसा कोई छायाचित्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें उक्त मोटरसाइकिल में उल्टी नंबर प्लेट लगी हो तथा अनुसंधान अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जब्तशुदा वाहन के छायाचित्र आर्टिकल ए–1 लगायत ए–4 में भी वाहन की नंबर प्लेट उल्टी लगी होना दृष्टिगत नहीं हो रही है, तब उक्त परिस्थिति भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गयी जब्ती एवं मेमोरेण्डम कार्यवाही को संदेहपूर्ण करती है।

18. उक्त संबंध में आगे विचार करें आरक्षक जसवीर अ0सा04 तथा आरक्षक हेमंत कारकू अ0सा05 ने अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका–02 में जब्तीस्थल को लोकस्थान मेलाग्राउण्ड और रामलीला मैदान बताया है, जबकि रामलीला मैदान एवं मेलाग्राउण्ड अलग–अलग स्थान हैं तथा मेलाग्राउण्ड से जब्ती कार्यवाही होना अभियोजन का मामला ही नहीं है तथा उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा यद्यपि यह बताया है कि प्रदर्श पी.03 एवं प्रदर्श पी.04 के दस्तावेज मकरंद अ0सा06 द्वारा बनाये गये थे, परंतु उक्त साक्षीगण यह बताने में असमर्थ रहे है कि उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 तथा जब्तीपत्रक प्रदर्श पी.04 किस व्यक्ति की हस्तलिपि में हैं तथा साक्षीगण की साक्ष्य में रहा उक्त विरोधाभास उक्त साक्षीगण की मौके पर जब्ती एवं मेमोरेण्डम कार्यवाही के समय उपस्थिति को संदेहपूर्ण करता है, क्योंकि उक्त साक्षीगण पढ़े–लिखे होकर पुलिस साक्षीगण हैं और आये दिन इस प्रकार की कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में सम्मिलित होते हैं, तब भी उक्त साक्षीगण द्वारा जब्तीस्थल के संबंध में विरोधाभासी तथ्य बताये गये हैं तथा यदि उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 तथा जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 उनके समक्ष तैयार किया गया होता तो उक्त साक्षीगण यह बताने में अवश्य समर्थ होते कि उक्त दस्तावेज किस व्यक्ति की हस्तलिपि में हैं।

19. उक्त संबंध में आगे विचार करें तो स्वयं जब्तीकर्ता साक्षी मकरंद अ0सा06 तथा पुलिस साक्षीगण जसवीर अ0सा04 एवं हेमंत अ0सा05 की साक्ष्य के अनुसार जब्तीस्थल लोकस्थान रहा है तथा उक्त स्थान पर जब्ती कार्यवाही के समय लोगों का आना–जाना भी रहा है एवं

स्वयं जब्तीकर्ता साक्षी मकरंद अ0सा06 के अनुसार जब्ती कार्यवाही के समय मौके पर 10–15 लोग मौजूद होना रहे हैं, परंतु जब्ती एवं मेमोरेण्डम कार्यवाही में किसी भी स्वतंत्र साक्षी को शामिल नहीं किया गया है तथा ऐसा ना किये जाने का कोई भी कारण जब्तीकर्ता साक्षी अपनी साक्ष्य में बताने में असमर्थ रहा है।

20. उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आगे विचार करें तो मकरंद अ0सा06 की ओर से मौके पर जाने संबंधी कोई रवानगी रोजनामचा सान्हा भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा यद्यपि रवानगी रोजनामचा सान्हा स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं होती है, परंतु तब भी रोजनामचा सान्हा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करने एवं पुलिस की उपस्थिति के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है तथा हस्तगत मामले में जब्ती कार्यवाही के समय स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता के बावजूद किसी स्वतंत्र साक्षी को जब्ती एवं मेमोरेण्डम कार्यवाही में शामिल ना किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये मौके पर जाने संबंधी रवानगी रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत ना किया जाना भी अभियोजन मामले को इस संबंध में संदेहपूर्ण करता है कि वस्तुतः पुलिस साक्षीगण मौके पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा जब्ती कार्यवाही की गयी।

21. इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर किए गए उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रकट है कि अभियुक्त से पूछताछ किए जाने तथा उससे वाहन जब्त किए जाने के संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी मकरंद सिंह अ0सा06 की साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति की नहीं रही है तथा पुलिस साक्षीगण जसवीर अ0सा04 एवं हेमंत अ0सा05 की साक्ष्य भी इस संबंध में विश्वसनीय प्रकृति की नहीं रही है कि उनके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 बनाया गया तथा अभियुक्त से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 बनाया गया तथा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अभियुक्त के सजग आधिपत्य से जब्त किया जाना ही युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं रहा है, तब उक्त परिस्थिति में अभियोजन साक्षीगण

की साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस प्रकार की विश्वसनीय प्रकृति की नहीं रही है जो अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करती हो।

22. उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Bijender alias Mandar V. State of Haryana 2021 SCC OnLine SC 1028** में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है, जिसका सुसंगत उद्धरण निम्न है—**16.** We have implored ourselves with abounding pronouncements of this Court on this point. It may be true that at times the Court can convict an accused exclusively on the basis of his disclosure statement and the resultant recovery of inculpatory material. However, in order to sustain the guilt of such accused, the recovery should be unimpeachable and not be shrouded with elements of doubt.1 We may hasten to add that circumstances such as **(i)** the period of interval between the malfeasance and the disclosure; **(ii)** commonality of the recovered object and its availability in the market; **(iii)** nature of the object and its relevance to the crime; **(iv)** ease of transferability of the object; **(v)** the testimony and trustworthiness of the attesting witness before the Court and/or other like factors, are weighty considerations that aid in gauging the intrinsic evidentiary value and credibility of the recovery. **17.** Incontrovertibly, where the prosecution fails to inspire confidence in the manner and/or contents of the recovery with regard to its nexus to the alleged offence, the Court ought to stretch the benefit of doubt to the accused. Its nearly three centuries old cardinal principle of criminal jurisprudence that "***it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent suffer***". The doctrine of extending benefit of doubt to an accused, notwithstanding the proof of a strong suspicion, holds its fort on the premise that "***the acquittal of a guilty person constitutes a miscarriage of justice just as much as the conviction of the innocent***".

23. इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर किये गये उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध इस संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई है

कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में विश्वसनीय प्रकृति की नहीं रही है तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 तथा जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 के तथ्य भी साक्षीगण की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं रहे हैं, तब उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.03 तथा जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.04 के आधार पर भी युक्तियुक्त संदेह से परे यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन अभियुक्त के सजग आधिपत्य से बरामद हुआ तथा अपराध विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता तथा प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।

24. उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **Rajiv Singh v. State of Bihar, (2015) 16 SCC 369 :** में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :– **69.** In terms of this judgment, **suspicion, howsoever grave cannot take the place of proof and the prosecution case to succeed has to be in the category of "must be" and not "may be" : a distance to be covered by way of clear, cogent and unimpeachable evidence to rule out any possibility of wrongful conviction of the accused and resultant miscarriage of justice.**

25. फलतः अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य पर किए गए उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.06.2023 को समय करीब 20:00 बजे से 07:00 बजे तक, स्थान आर.पी. पार्क मोहनपुर मुरार, जिला ग्वालियर में फरियादी नरेन्द्र सिंह गुर्जर के आधिपत्य की काले रंग की हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.वाय.5448 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाकर चोरी कारित की।

26. परिणामस्वरूप अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

27. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत बंधपत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के अन्तर्गत आगामी छः माह तक प्रभावी रहेगा।

28. अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 01.07.2023 से आज दिनांक 16.10.2023 तक अभिरक्षा में रहा है। इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अन्तर्गत प्रमाणपत्र बनाया जाए।

29. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल कमांक एम.पी. 07 एम.वाय.5448 वाहन स्वामी की अंतरिम सुपुर्दगी पर है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में वाहन स्वामी के पक्ष में भारमुक्त समझा जाए तथा अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर म0प्र0

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर म0प्र0

JITENDRA KUMAR SHARMA

Digitally signed by JITENDRA KUMAR SHARMA
Date: 2023.10.16 15:49:46 +0530